10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

12

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III/अपील/सीधी/ आ० अ०/2017/3884

प्रकरण क्रमांक- /2017 जिला सीधी

मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खोड़ी ग्राम, बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

आलोक शर्मा
द्वारा आज दि. 12-10-17
for ... 12-10-17
सदस्य रीक कोर्ट

पेशी दिनांक 31-10-17
...

बनाम

1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2- उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, रीवा

3- जिला आबकारी अधिकारी सीधी

......प्रतिअपीलार्थीगण

12/10/17

**न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा आदेश पृष्ठांकन क्रमांक/5(1)2017-18/3964 दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू निमयों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।**

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है-

मामले के संक्षिप्त तथ्य

1- यहकि, अपीलार्थी कम्पनी देशी मदिरा का उत्पादन एवं प्रदाय का कार्य करती है। अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2013-14 में देशी मदिरा प्रदाय क्षेत्र जिला सीधी के मद्य भाण्डागारों में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पत्र क्रमांक-5(1)2013-14/381 दिनांक 18.02.2013 द्वारा प्रदान की गई थी।

2- यहकि, तथाकथित अनियमितताओं के लिए प्रदाय संविदाकार अपीलार्थी मैसर्स- एसोसिएटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि. बड़वाह, जिला खरगौन को आबकारी आयुक्त म.प्र., ग्वालियर द्वारा सूचना-पत्र क्रमांक-5(1)/2015-16/4726 दिनांक 09.11.2015 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया, जिसका विधिवत्

प्रकरण कमांक तीन/अपील/सीधी/आबकारी /2017/3884

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3.4.18 | अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आलोक शर्मा उपस्थित होकर सीघ्र सुनवाई का आदेश प्रस्तुत किया जाकर अनुरोध किया है कि प्रकरण आज ही सुन लिया जाए।<br>2 यह अपील आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पृष्ठाकंन क्रमांक 5/(1) 2017-18/3964 में पारित आदेश दिनांक 9-8-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अतंर्गत बने अपील नियमों के पैरा- दो सी के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है।<br>3- प्रत्यर्थी की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की तथा मौखिक रूप से धारा-5 के संबंध में घोर आपत्ति की। प्रत्यर्थी अभिभाषक की आपत्ति का आवेदक अभिभाषक द्वारा समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके।<br>4. उभय पक्ष अभिभाषक के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पषट है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह अपील इस न्यायालय में लगभग 6 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र में ऐसा कोई विलंब का ठोस कारण नही बताया है जिससे विलंब को क्षमा किया जा सके। विलंब का कारण अपने आवेदन में मात्र यह बताया गया है कि कंपनी के कर्मचारी द्वारा अपने रिकार्ड में आदेश की प्रति रख कर भूल जाने के | |

तीन/अपील/सीधी/आबकारी /2017/3884

कारण उक्त आदेश की प्रति मिसप्लेस हो गई थी। इसलिए प्राप्त नहीं हो सकी दिनांक 31.01.18 को खोजने पर प्राप्त हो सकी।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा हुए विलंब समाधानकारक नहीं होने से प्रकरण धारा 5 के आवेदन पर ही निरस्त किया जाता है।

सदस्य